Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Plead

26/12/17

राज्य द्वारा एडीपीओ अभियुक्त आशीष कडेरे अनु०। प्रकरण अभि० की उप० हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियुक्त की उप0 हेतु जारी गिरफतारी वारंट तामील अथवा अदम तामील प्राप्त नहीं। अभियुक्त की आंदेशिका के तामीलकर्ता तामीलकुनिंदा कथन प्रस्तुति लेख किये जाने पर भी उप0 नहीं हुआ है।

प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना है जिसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट मिल्य में मिलने की संमावना दर्शित नहीं है। कई बार आदेशिका भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः द०प्र०सं० की घारा 299 के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त आशीष कडेरे पुत्र श्यामबाबू कडेरे उम्र 24 साल, निवासी वार्ड क0 12, बडा बाजार गोहद को स्थायी गिरफतारी वारंट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ ही गिरफतारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रिजस्टर में कर पावती ली जाये। थाना प्रमारी को ज्ञापन जारी किया जावे कि अभियुक्त का गिरा वारंट रिजनामचा सान्हा पर दर्जकर सान्हा की सत्यापित प्रति मय प्रतिवेदन न्यायालय को मेजें।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त फरार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

प्रकरण अमिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु भेजा जाये।

(A.K. Gupta)
Judicial Magastrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)